राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1190/2023

नृसिंह राम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर डिवीजन, अजमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, नागौर।
5. नितिन व्यास जरिये निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. नवनीत कुमार जरिये निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.03.2023
आदेश की दिनांक : 16.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सारा प्रवीण, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी की एमएससी योग्यता नहीं जोडे जाने पर समय से अपीलार्थी को उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया है। अतः उक्त योग्यता को जोडते हुये अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016–17

के बजाय वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार करते हुये रिव्यू डीपीसी की जावे और उसकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुये रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ तथा पदोन्नति उपरांत शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज आदि का नियमानुसार भुगतान किये जाने के निर्देश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर डीपीसी वर्ष 2016–17 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। उनका कथन है कि अपीलार्थी दिनांक 26.02.1999 को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्त हुआ और उसने बीएससी योग्यता वर्ष 1997 में अर्जित की और बी.एड. की योग्यता वर्ष 1998 में तथा एमएससी (रसायन) अतिरिक्त योग्यता दिनांक 22.02.2012 में अर्जित की और अपीलार्थी ने निर्धारित प्रोफार्मा में दिनांक 26.11.2012 को योग्यता अभिवृद्धि सेवाभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन दिया। परंतु उसकी योग्यता का समय पर अंकन नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 01.07.2014 को पुनः प्रोपर चैनल के माध्यम से उक्त योग्यता अंकन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। परंतु समय पर योग्यता दर्ज नहीं होने के कारण अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति न देते हुये उसे वर्ष 2016–17 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, जो नियम विरूद्ध है। जिसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। परंतु फिर भी अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नत न करते हुये रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया है और निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी से पूर्व पदोन्नत किया गया है तथा उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिये डीपीसी वर्ष 2022–23 में भी उनके नाम पर विचार किया गया है, परंतु अपीलार्थी को उक्त पदोन्नतियों से वंचित रखा गया, जो नियम एवं विधि के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी की एमएससी योग्यता नहीं जोडे जाने पर समय से अपीलार्थी को उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया है।

अतः उक्त योग्यता को जोडते हुये अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016–17 के बजाय वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार करते हुये रिव्यू डीपीसी की जावे और उसकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुये रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ तथा पदोन्नति उपरांत शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज आदि का नियमानुसार भुगतान किये जाने के निर्देश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा अर्जित योग्यताओं के अंकन हेतु जारी आदेश दिनांक 24.07.2015 के द्वारा किया गया है तथा अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 में व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है और वर्ष 2016–17 के अनुसार अर्जित वरिष्ठता के आधार पर वर्ष 2022–23 में उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति की योग्यता नहीं रखता है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपीलार्थी यह उच्च योग्यता वर्ष 2012 में ही रखता था और योग्यता अभिवृद्धि कराने के संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 26.11.2012 को निर्धारित प्रोफार्मा में दर्ज कराने हेतु आवेदन दे दिया था। परंतु विभाग द्वारा समय पर योग्यता का सेवाभिलेख में दर्ज नहीं किया गया, जिसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है और अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति दी जानी चाहिये थी जो वर्ष 2016–17 में दी गई और इसी प्रकार उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ही अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका का अद्यतन करने हेतु लापरवाही रही, जिसमें अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी.एन. प्रेमाचंद्रण बनाम केरला राज्य व अन्य (2004) 1 एससीसी 245, एन.जे.सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.03.2016, आर.आर.वर्मा व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एससी/0514/1980 एवं इकबाल अहमद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2010 सी.ए./0605/2010 में पारित निर्णय जिसमें ऐसे प्रकरणों में प्रार्थियों/कार्मिकों को लाभ दिये जाने से वंचित किया जाना उचित नहीं

माना है। अतः अपीलार्थी भी नियमानुसार उक्त न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर उक्त लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर डीपीसी वर्ष 2016–17 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी दिनांक 26.02.1999 को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्त हुआ और उसने बीएससी योग्यता वर्ष 1997 में अर्जित की और बी.एड. की योग्यता वर्ष 1998 में तथा एमएससी (रसायन) अतिरिक्त योग्यता दिनांक 22.02.2012 में अर्जित की और अपीलार्थी ने निर्धारित प्रोफार्मा में दिनांक 26.11.2012 को योग्यता अभिवृद्धि सेवाभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन दिया। परंतु उसकी योग्यता का समय पर अंकन नहीं किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति न देते हुये उसे वर्ष 2016–17 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। जहां तक अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी द्वारा अर्जित योग्यताओं के अंकन हेतु जारी आदेश दिनांक 24.07.2015 के द्वारा किया गया है। आदेश दिनांक 26.11.2012 (अनुलग्नक–6) के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी मा. मुण्डवा (नागौर) द्वारा जारी पत्र जो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम नागौर को लिखा गया है, जिसमें अपीलार्थी की योग्यता अभिवृद्धि जुडवाने बाबत् लिखा गया। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2015 में अभिवृद्धि हेतु पत्र लिखा गया। परंतु विभाग द्वारा अभिवृद्धि दर्ज करने में विलम्ब किया गया न कि अपीलार्थी द्वारा। इस प्रकार हम अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार का कोई दोष/गलती नहीं पाते हैं। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा समय पर योग्यता अभिवृद्धि नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति से वंचित होना पड़ा। जबकि अपीलार्थी नियमानुसार डीपीसी वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पद पर पदोन्नति पाने का हकदार था, जो कि उसे डीपीसी वर्ष 2016–17 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया, जो

उचित प्रकट नहीं होता है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2012 में अर्जित की गई योग्यता एमएससी (रसायन) का सेवा पुस्तिका में समय पर दर्ज करते हुये एक रिव्यू डीपीसी आयोजित कर वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पद पर पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार किया जावे एवं उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध यदि अपीलार्थी योग्य पाया जाता है तो उसकी भी रिव्यू डीपीसी आयोजित कर उप प्रधानाचार्य के पद के लिये भी पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर नियमानुसार विचार किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी प्रदान किये जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य